

In the court of circle officer at Deogarh

certified copy of final order sheet of M.C NO-792/03-16

Order dated- 03.03.16 Applicant Name Sri Satyendra Prasad  
Date of Application 21.03.16 Date of filing 28.03.16 Date of Ready 29.03.16 Date of delivery 29.03.16

08.03.16

**आदेश**

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक/आवेदिका श्री सत्येन्द्र

प्रसाद का पिता/प्रति श्री आशिका प्रसाद का

साकिन २५४/७९१ थाना ६१२६

जिला देवघर द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आवेदिका

मौजा काँसाबाड़ी थाना स० ५८२

जमाबन्दी संख्या ८९२/२२५ रकबा २३८१ वर्गमीटर

का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर मन्वीधन हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से स्थानीय वो राजस्व अभिलेखों का जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामांतरण हेतु प्रस्तावित जमीन निबन्धित केवाला संख्या ५०८ दिनांक २९/०६/१५ द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलदार है। विषयगत जमीन बसोड़ी मत्व की है तथा भू-दान, लाज एवं भू-जयन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल अमीन ने भी नामान्तरण की अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निबन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण दखल कच्चा एवं असापत्ति के आधार पर मौजा काँसाबाड़ी थाना स० ५८२ जमाबन्दी सं० ८९२/२२५, धाग नं० T.P.P. 642 का अंश

रकबा २३८१ वर्गमीटर का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका श्री सत्येन्द्र

प्रसाद का पिता/प्रति श्री आशिका प्रसाद का

साकिन २५४/७९१ थाना ६१२६

जिला देवघर के नाम से दी जाती

है। अनुशंसित लगान १०-०० रु० अलावे सेस वसूलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका

से ५०० रुपये ना० शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुद्धि पत्र

निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावें।

टींकत कराया एवं शुद्ध किया।

सच्ची जमागित प्रतिलिपि  
19.3.16  
प्रधान सहायक  
अंशत कार्यालय, देवघर  
1977 के अधिनियम 1 की धारा  
76 के अन्तर्गत अतिरिक्त।

अंचल अधिकारी,  
देवघर।

अंचल अधिकारी,  
देवघर।

नकल किया

मिलान किया

29.03

जाति रजिस्ट्रार 15/1672 R/S 263 163  
M.C. 792/03 चर्चा/29.3.16

शुद्धि पत्र  
17/3/16

B.K. Pandey